

राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी:- हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 159/2022

जीसीएमएस नम्बर :- 2022/460

सत्यवीर सिंह पुत्र मनीराम उम्र 65 साल जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना
जिला झुंझुनू राज0

.....वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व0 गुरुदयाल उम्र 27 साल जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
2. मनिषा पुत्री गुरुदयाल पत्नी वीर सिंह उम्र 35 साल जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 हाल आबाद खिमाउ तहसील राजगढ जिला चुरु राज0
3. दक्ष पुत्र सुनिता दोहिता स्व गुरुदयाल नाबालिग जरिये पिता राजेश कुमार जाति जाट निवासी नुनिया गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू राज0
4. साक्षी पुत्री सुनिता दोहिता स्व गुरुदयाल नाबालिग जरिये पिता राजेश कुमार जाति जाट निवासी नुनिया गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू राज0
5. दिपांशु पुत्र सरोज दोहिता स्व गुरुदयाल पुत्र मनोज जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
6. दिपिका पुत्री सरोज दोहिता स्व गुरुदयाल पुत्री मनोज जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज.

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत- खाता विभाजन


-:निर्णय:-

दिनांक:- 11/07/24



(1). वादी का वादपत्र रहा कि:-

1. यह कि वाके ग्राम मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 93 के ख0 न0 265 रकबा 0.80 हैक्टर में वादी 3/7 भाग की भूमि का विधिवत क्रेता खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष भूमि में प्रतिवादी सख्या 1 व प्रतिवादी सख्या 2 प्रत्येक का 1/7, 1/7 भाग के खातेदार दर्ज रिकार्ड है व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 की माता मनीषा पुत्री गुरुदयाल का 1/7 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जिसकी वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है जिसके प्रतिवादी सख्या 3 व 4 विधिक वारिसान है तथा 1/7 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 5 व 6 की माता श्रीमति सरोज देवी के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी भी वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है जिसके प्रतिवादी सख्या 5 व 6 विधिक वारिसान है।
2. यह कि वादी व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 ने उपरोक्त वाद वर्णित भूमि का आपसी में बंटवारा कर रखा है लेकिन उक्त भूमि का विधिवत खाता विभाजन नहीं हुआ है। वादी वाद वर्णित भूमि में अपनी खातेदारी भूमि 3/7 हिस्से का विकास नहीं कर पा रहा


उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

है तथा बिना विधिवत खाता विभाजन हुए पक्षकारान में उक्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि की म्याल सीव आदि को लेकर आये दिन झगड़ा होता रहता है इसलिए वादी उपरोक्त भूमि अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहता है जिसकी वादी विधिक रूप से अधिकारी है।

3. यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को गत सप्ताह उपरोक्त भूमि का खाता विभाजन करवाने के लिए कहा तो सभी प्रतिवादीगण वादी से झगड़ा करने लग गये और प्रतिवादीगण व उसके परिवारजन चाचा ताउ आदि ने वादी को धमकी दी कि वे वादी के 3/7 हिस्से पर लठ के बल पर अतिक्रमण करेंगे और वादी को उसके 3/7 हिस्से की भूमि को काश्त भी नहीं करने देंगे। जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य के विरुद्ध थाना सिंघाना में शिकायत की जिस पर उनके विरुद्ध थाना सिंघाना में 107, 116 व 151 के तहत परिवाद पेश किया जिस पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट महोदय बुहाना द्वारा उन्हे शान्ति बनाये रखने के लिए पाबंद किया है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हुआ है कि वह प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे। जिसका वादी विधिक अधिकारी है जिसके लिए वादी उक्त दावा श्रीमान जी के समक्ष पेश करता है।
4. यह कि आधार विवाद गत सप्ताह वादी द्वारा प्रतिवादीगण को खाता विभाजन के लिए कहने व प्रतिवादीगण द्वारा खाता विभाजन करवाने से इन्कार करने व वादी को वाद वर्णित भूमि में उसके हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने व रोकने पर जान से मारने की धमकी देने से पैदा हुआ जो सावधि है
5. यह कि यदि प्रतिवादी अपने मनसुबों में कामयाब हो जाते हैं और वे वादी की भूमि के 3/7 भाग पर जबरन कब्जा कर लेते हैं तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि में कास्त करने में बाधा डालते हैं तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
6. यह कि वाद वर्णित भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/7 भाग है इसलिए वादी का प्रथम दृष्टता मामला है और सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

यह वाके ग्राम मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 93 के ख0 न0 265 रकबा 0.80 हैक्टर में वादी के 3/7 भाग का खाता अलहेदा कायम किया जाकर लगान भी अलहेदा कायम किया जावे तथा उसी अनुसार वादी का खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर वादी के 1/7 भाग भूमि की पत्थरगढी कर कब्जा वादी क करवाया जावे।

- (ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वाके ग्राम मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 93 के हाल खसरा नम्बर 265 रकबा 0.80 हैक्टर में वादी के 3/7 भाग की भूमि का कास्त करने से व फसल काटने से ना रोके व उसकी उक्त भूमि पर जबरन कब्जा ना करे। ऐसा व ना तो स्वयं करे तथा ना ही अपने रिश्तेदारों मिखें आदि करावे।

(Handwritten Signature)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुझुनूं (राज.)



बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 07.08.2023 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.08.2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 515 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 540 दिनांक 21.12.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया। किसी ने ऐतराज पेश नहीं किया है।

बहस के अनुसार शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुरे प्राप्त पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075-2078 वाके ग्राम मोई सददा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 93 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—:आदेश:-

“न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 93 के ख0 न0 265 रकबा 0.80 हैक्टर में वादी 3/7 भाग की भूमि का विधिवत क्रेता खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है। भूमि का कब्जे कास्त के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 515 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 540 दिनांक 21.12.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-4” व नक्शा प्रदर्श “ब” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-4” व नक्शा प्रदर्श “ब” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव “अ-1 लगायत अ-4” व नक्शा प्रदर्श “ब” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार कास्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा सम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।”

निर्णय आज दिनांक 11/7/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार) बुहाना
उपरखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

(हेमन्त कुमार)
उपरखण्ड अधिकारी बुहाना
उपरखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना



मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-
राजस्व वाद सं.- 159/2022

हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.
जीसीएमएस नम्बर :- 2022/460

सत्यवीर सिंह बनाम जगदीश आदि

दावा बाबत- खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा


-:निर्णय:-

वादी की ओर से श्री महावीर चौधरी एडवोकेट की प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

"न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 93 के ख० न० 265 रकबा 0.80 हैक्टर में वादी 3/7 भाग की भूमि का विधिवत क्रेता खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है। भूमि का कब्जे कास्त के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 515 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 540 दिनांक 21.12.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार कास्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पूर्वा डिक्री जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11/7/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


उपखण्ड अधिकारी बुहाना
विभाजन अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

